



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242110
CG-DL-E-20012023-242110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]
No. 293]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2023/पौष 29, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2023/PAUSHA 29, 1944

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2023

का.आ. 307(अ).—केंद्रीय सरकार ने पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2889(अ) तारीख 24.06.2022 जो राजपत्र सं. 2749 तारीख 24.06.2022, द्वारा उसे अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में केरल राज्य में भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी से सेलम तक द्रवित पैट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए कोच्चि कोयम्बटूर सेलम पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को क्रमशः तारीख 28.06.2022 से 30.07.2022 के बीच उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है,

अतः अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है,

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केंद्रीय सरकार में निहित होने कि बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

राज्य: केरल

जिला: एरनाकुलम

तालुक : कनयन्नूर

नाम ग्रामर	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (अनुमानित)		
		हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर

त्रिक्काकरा उत्तर

खंड सं. 6

85/2	0	11	00
85/3	0	09	80
85/4	0	04	30
85/5	0	08	50
85/6	0	03	40
85/7	0	02	50
85/8	0	02	00
87/1	0	05	50
87/2	0	09	00
87/3	0	04	70
87/4	0	03	80
87/5	0	02	00
89/4	0	05	00
89/5	0	10	00
89/6	0	02	00
89/9	0	04	00
89/10	0	01	80
370/19	0	01	00
409/5	0	00	30
410/2	0	07	59
410/4	0	02	00
410/13	0	01	51

काक्किनाड

खंड सं . 7

329/3	0	02	45
-------	---	----	----

राज्य : केरल

जिला : एरनाकुलम

तालुक : कुन्नाथुनाडु

किझक्कंबलम

खंड सं 25

137/8	0	01	05
137/12	0	01	60

राज्य : केरल

जिला : एरनाकुलम

तालुक : आलुवा

नाम ग्राम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (अनुमानित)		
		हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर

वडक्कुमबागम

खंड सं 28

310/2	0	01	23
-------	---	----	----

तेक्कुमबागम

खंड सं 30

157/1 0 00 33

मात्तुर

खंड सं 27

354/23 0 00 28

तूरवूर

खंड सं 13

108/5 0 00 86

राज्य : केरल

जिला : त्रिस्सूर

तालुक : चालक्कुडि

नाम ग्राम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (अनुमानित)		
		हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर
किन्नाकुम्मुरी	862/6	0	01	00

[फा. सं. आर-12031/196/2017--ओआर-I/ई-19746]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2023

S.O. 307(E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O No: 2889(E) dated 24.06.2022 published in Government of India Gazette No: 2749 dated 24.06.2022 was issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) (herein after referred to as said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Kochi Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited in the State of Kerala to Salem in the State of Tamil Nadu.

AND, whereas, the copies of the said Gazette Notifications have been made available to the public between 28/06/2022 to 30/07/2022 respectively.

AND, whereas, the Competent Authority in pursuance of sub section (1) of section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government.

AND, whereas, the Central Government, after considering the said report, is satisfied that the Right of User in the said land specified in the schedule appended should be acquired.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declared that the Right of User in the Land specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired.

AND, further, in exercise of powers conferred by sub section (4) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said lands shall, instead of vesting in the Central Government vest free from all encumbrances in the Kochi – Salem Pipeline Private Limited.

SCHEDULE**STATE : KERALA****DISTRICT : ERNAKULAM****TALUK : KANAYANNUR**

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

THRIKKAKARA NORTH**BLOCK NO. 6**

85/2	0	11	00
85/3	0	09	80
85/4	0	04	30
85/5	0	08	50
85/6	0	03	40
85/7	0	02	50
85/8	0	02	00
87/1	0	05	50
87/2	0	09	00
87/3	0	04	70
87/4	0	03	80
87/5	0	02	00
89/4	0	05	00
89/5	0	10	00
89/6	0	02	00
89/9	0	04	00
89/10	0	01	80
370/19	0	01	00
409/5	0	00	30
410/2	0	07	59
410/4	0	02	00
410/13	0	01	51

KAKKANAD**BLOCK: 7**

329/3	0	02	45
-------	---	----	----

STATE: KERALA**DISTRICT: ERNAKULAM****TALUK: KUNNATHUNADU**

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA (APPROXIMATE)		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

KIZHAKKAMBALAM**BLOCK: 25**

137/8	0	01	05
137/12	0	01	60

STATE: KERALA

DISTRICT: ERNAKULAM

TALUK: ALUVA

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA (APPROXIMATE)		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

VADAKKUMBHAGAM

BLOCK NO: 28

310/2 0 01 23

THEKKUMBHAGAM

BLOCK NO: 30

157/1 0 00 33

MATTOOR

BLOCK: 27

354/23 0 00 28

THURAVOOR

BLOCK NO: 13

108/5 0 00 86

STATE : KERALA

DISTRICT : THRISSUR

TALUK : CHALAKKUDY

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA (APPROXIMATE)		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

KIZHAKKUMMURI

862/6 0 01 00

[F. No. R-12031/196/2017-OR-I/E-19746]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.